हुक्म

8.9.22 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिवक्ता उप०. वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। जब कि वकील अप्रार्थी सं.1 अपने जवाब के आधार पर वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया। तहसीलदार मांडल के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। न्यायहित मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा